सं.सं. राबैं.डॉर/ 64 /ए-1 सामान्य/2021-22
परिपत्र संख्या राबैं. 83 /डॉर-29/2021

30 अप्रैल 2021

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रिय महोदय,

अल्पावधि पुनर्वित्त प्रावधान – विशेष तरलता सुविधा – 2

Provision of Short Term Refinance - Special Liquidity Facility - 2

कृपया अल्पावधि पुनर्वित्त नीति पर जारी नाबार्ड के निम्नलिखित परिपत्र का अवलोकन करें.

i. राबैं.डॉर/55/ए-1.सामान्य/2021-22 (परिपत्र संख्या 74/डॉर-20/2021) दिनांक 28 अप्रैल 2021
ii. राबैं.डॉर/ 59 /ए-1.जन//2021-22 (परिपत्रसं. राबैं 76 /डॉर -22 /2021) दिनांक 28 अप्रैल 2021

2. कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र,किसानों को उनके कृषि परिचालनों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अबाधित ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों को नकदी सहायता देने हेतु एक विशेष तरलता सुविधा – 2 (एसएलएफ़-2) उपलब्ध कराई है. इस एसएलएफ़ ऋण सुविधा की विशेषताएँ निंम्नानुसार हैं:

क. इस सुविधा के अंतर्गत मंजूरी के लिए पुनर्वित्त की राज्य सहकारी बैंक-वार मात्रा, नाबार्ड द्वारा निर्धारित उपर्युक्त पात्रता मापदंडों के साथ-साथ बैंक के 2021-22 के आरएलपी/ पिछले वर्ष के कृषि जीएलसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी.

ख. पुनर्वित्त पर ब्याज दर का निर्धारण समय-समय पर नाबार्ड द्वारा किया जाएगा. वर्तमान के लिए यह **4.40%** प्रति वर्ष है. यह ब्याज 01 अक्टूबर और 01 अप्रैल को छमाही आधार पर देय होगा. बैंक द्वारा पूरा मूलधन चुकाने की स्थिति में, मूलधन के साथ ब्याज भी देय होगा.

ग. राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक-वार स्थिति को अलग-अलग दर्शाते हुए मासिक एनओडीसी विवरण प्रस्तुत करेंगे, जो अल्पावधि कृषि ऋण और अल्पावधि (अन्य) के लिए होगा, जिसे फिजिकल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगामी माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक द्वारा विशेष तरलता सुविधा के तहत आहरण संबंधित श्रेणी के तहत उपलब्ध कुल निवल एनओडीसी से अधिक नहीं हो.

पुनर्वित्त विभाग
प्लॉटक्रसी-24,'जी' ब्लॉक,बांद्रा-कुर्लाकॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ईमेल:dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

घ. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक से एसएलएफ़-2 सुविधा, नाबार्ड द्वारा प्रथम आहरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती है, इसलिए इस सुविधा के अंतर्गत अदायगी अवधि अधिकतम एक वर्ष अथवा एसएलएफ -2 जारी करते समय नाबार्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अनुसार होगी.

ङ. अन्य सभी नियम और शर्तें ऊपर इंगित पैरा 1 में उल्लिखित हमारे अतिरिक्त अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) परिपत्र के अनुसार होंगी.

3. आप सीमाओं की समय पर मंजूरी के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा फौर्मेट के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल भेजने की व्यवस्था करें.

4. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएं.

भवदीय

(एल आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीयकृषिऔरग्रामीणविकासबैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉटक्रसी-24,'जी' ब्लॉक,बांद्रा-कुर्लाकॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • **फ़ैक्स**: +91 22 26530090 • **ईमेल**:dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org